ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph :. 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

No.F.9-27/2008(CPP-I/PU) January, 2021

Public Notice

2.9 JAN 2021

Subject: Courses offered in modern medicine by Singhania University, Jhunjhunu, Rajasthan without approval of NMC (Erstwhile MCI) – reg.

It is brought to the notice of students and all stakeholders that UGC has received a letter No.P3(13)Shiksha-4/2005 Part dated 12.10.2020 from the Secretary, Higher Education, Government of Rajasthan regarding courses offered without the prior approval of NMC (Erstwhile MCI) in modern medicine by Singhania University, Jhunjhunu, Rajasthan. As per the letter, Singhania University is running courses in Modern Medicine without prior permission of Central Government/ Board of Governors in Super-session of "Medical Council of India"/National Medical Commission. The passed out students of such unrecognized degree can not register for practice.

The Secretary, Higher Education, Government of Rajasthan vide above letter has issued warning and informed all the students and parents not to get admission in MBBS, MD, Diploma in Medicine etc. programmes run illegally by the Singhania University. A copy of letter is attached herewith for information of all the students and stakeholder.

(Rajnish Jain)

Encl; As above.

2601(CPP-1/PU)
23/11/2020.

No-227437/UGC/20

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
आव. सं./R. No. दिनांक/Date
10 NOV 2020
प्राप्त किया/RECEIVED
नई दिल्ली/NEW DELHI

CPP-I/PU

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 3 (13) शिक्षा–4/2005 पार्ट   जयपुर, दिनांक : 12/X/2020

सिंघानियां विश्वविद्यालय, पचेरी बडी, झुन्झुनूं में एम.बी.बी.एस, एम.डी. आदि में प्रवेश के संबंध में चेतावनी

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली ने राज्य सरकार को अवगत कराया है कि सिंघानियां विश्वविद्यालय, पचेरी बडी, झुन्झुनूं की वेबसाईट के अवलोकन एवं उसके द्वारा समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा मोडर्न मेडिसिन से संबंधित विभिन्न कोर्सेज यथा एम.बी.बी. एस, एम.डी. एवं डिप्लोमा मेडिसिन आदि बिना केन्द्र सरकार/बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से पूर्व अनुमति के संचालित कर रहा है जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसे अनरिकोग्नाईज्ड डिग्री धारक मेडिसिन के लिये प्रेक्टिस हेतु रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं कर सकते। परिषद का यह भी मत है कि सिंघानियां विश्वविद्यालय निर्दोषं विद्यार्थियों के साथ–साथ राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं व्रिनियमन निकायों के साथ भी धोखाधडी कर रहा है।

अतः सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को आगाह किया जाता है कि वे सिंघानियां विश्वविद्यालय, पचेरी बडी, झुन्झुनूं द्वारा अनधिकृत रूप से संचालित एम.बी.बी.एस., एम.डी., डिप्लोमा मेडिसिन आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं लेवें।

Sd/-
(शुचि शर्मा)
शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञन परिषद, नई दिल्ली को उनके पत्र कमांक 112795 दिनांक 03.08.2020 के संदर्भ में।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि इसे विज्ञप्ति के रूप में सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवावें।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस चेतावनी को विभाग की वेबसाईट पर मुख पृष्ठ पर प्रदर्शित करें।
5. कुलसचिव, सिंघानियां विश्वविद्यालय, पचेरी बडी, झुन्झुनूं को प्रेषित कर लेख है कि बिना मान्यता एवं सम्बद्धता/अनुमति के किसी पाठ्यकम में कोई प्रवेश नहीं देवें अन्यथा विद्यार्थियों के साथ हुई किसी भी प्रकार की धोखाधडी के लिये विश्वविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

16/11/2020
S.O.(CPP-I/PU)
18/11/2020